न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :–श्रीमती शकुंतला चौधरी आर.ए.एस.

मि0न0 – 21/2021

अनवान : –

1. सिंगाराम उर्फ हरीसिंह पुत्र रामलाल जाति मेघवाल निवासी उतरादाबास त0 भादरा।

प्रार्थी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र रिकॉर्डदुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 136 लैण्डरैवेन्यू एक्ट

उपस्थिति :–श्री दलबीर बैनीवाल **प्रार्थी**
राजपैरोकार **अप्रार्थी**

निर्णय दिनांक: 10.02.2023

संक्षेप में प्रार्थना के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा ग्राम उतरादाबास के खाता सं0 22/18 के खसरा सं0 6/3, 24, 26/1, 40/1, 280/2, 280/3, की कुल 6.9050है0 बारानी खातेदारी में 1/2 हिस्सा व इसी प्रकार गांव अजीतपुरा के खाता सं0 62/60 के खसरा सं0 1002, 1003, 1004 की कुल 2.3590है0 बारानी खातेदारी के 1/2 हिस्से में प्रार्थी का नाम हरिसिंह राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उपरोक्त वर्णित वाद भूमि में नामान्तरण दर्ज करते समय प्रार्थी का नाम हरिसिंह पि0 रामलाल दर्ज हो गया जबकि प्रार्थी का सही नाम सिंगाराम है। प्रार्थी के सभी दस्तावेजों में सही नाम सिंगाराम ही दर्ज है। इस प्रकार प्रार्थी का नाम गलत राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने से प्रार्थी अपनी खातेदारी का सही प्रकार से उपयोग–उपभोग नहीं कर पा रहा है। अतः प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में उक्त नाम की शुद्धि करवा पाने के कानूनी अधिकारी है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के बाद अप्रार्थी ने अपना जवाब पेश किया। व तहसीलदार रिपॉर्ट प्राप्त की गई।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व) भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने कथन किया कि प्रार्थी को उक्त वाद भूमि विरासतन अपने पिता से प्राप्त हुई है। प्रार्थी का नाम विरासतन नामान्तरण दर्ज करते समय उक्त दोनों खातो में हरिसिंह पि0 रामलाल दर्ज हो गया। जबकि प्रार्थी के सभी दस्तावेज में नाम सिंगाराम है। अतः प्रार्थी का सही नाम दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेजात यथा पहचान पत्र , आधार कार्ड,

...त आधार कार्ड, पारिवारिक राशन कार्ड ,प्रमाण पत्र सरपंच तथा मुताबिक रिपॉर्ट पटवार हल्का आदि में सही नाम हरिसिंह ही दर्ज है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट स्वीकार किया जाकर तहसीलदार भादरा को आदेशित किया जाता है कि वे रोही मौजा ग्राम उतरादाबास के खाता सं0 22/18 के खसरा सं0 6/3, 24, 26/1, 40/1, 280/2, 280/3, की कुल 6.9050है0 बारानी खातेदारी में 1/2 हिस्सा व इसी प्रकार गांव अजीतपुरा के खाता सं0 62/60 के खसरा सं0 1002, 1003, 1004 की कुल 2.3590है0 बारानी खातेदारी के 1/2 हिस्से में प्रार्थी का नाम हरिसिंह राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में **प्रार्थी के नाम हरिसिंह पि0 रामलाल की जगह प्रार्थी का सही नाम सिंगाराम पि0 रामलाल दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे।** यदि निकट भविष्य में प्रार्थी के हरिसिंह पुत्र रामालाल से कोई आपाराधिक रिकार्ड अथवा किसी संस्था, किसी न्यायालय आदि में कोई मुकदमा अथवा कोई बकाया देय आदि हरिसिंह पुत्र रामलाल के नाम से हो तो उसके लिए प्रार्थी का नाम हरिसिंह पुत्र रामलाल ही लागू होगा।

निर्णय आज दिनांक 10.02.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला-हनुमानगढ़

(शकुंतला चौधरी)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़